न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 91/2013/223 आर टी ए

1. रणजीत सिंह पुत्र जंगीरसिंह जाति जटसिख निवासी सदासिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. सरजीतसिंह उर्फ सुरजीतसिंह पुत्र जंगीरसिंह जाति जटसिख निवासी सदासिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. कौरसिंह पुत्र जंगीरसिंह जाति जटसिख निवासी सदासिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. सुलखनसिंह पुत्र करनैलसिंह जाति जटसिख निवासी सदासिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. एसबीबीजे शाखा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ जरिये प्रबन्धक।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 28.03.2013 न्यायालय सहायक कलैक्टर पीलीबंगा प्र0 सं. 115/2012 अनवानी सरजीतसिंह बनाम रणजीत सिंह आदि

उपस्थित :–

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलांटस

श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2

श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 5

निर्णय दिनांकः–30.07.2018

1. प्रकरण के सारगर्भित तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 आरटीए पेश कर संयुक्त खाते मे दर्ज भूमि के संबंध मे खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया। जिसमे विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांटस को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय के जरिये दावा स्वीकार किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि दिनांक 08.03.13 को पीठासीन अधिकारी नही थे अभिभाषकगण का कार्य स्थगन प्रस्ताव अनिश्चितकालीन था। इसी कारण पूर्वानुसार नोटिस के जरिये समस्त पेशीया दिनांक 08.03.13 की पत्रावलियों मे 05.04.2013 दी गई थी। पीलीबंगा स्थित अभिभाषक भी पेशी 05.04.13 बतलाई गई थी एवं एक अन्य रिसिवर प्रकरण सं. 26/2012 भूपेन्द्रसिंह बनाम सुखदेवसिंह मे भी अपीलांट पक्षकार था उसमे भी पेशी 05.04.2013 दी गई थी परन्तु बाद मे रेस्पो0 सं. 1 द्वारा साजबाज कर छिपे तौर से मौजूदा प्रकरण मे दिनांक 22.03.13 को उपस्थित आकर गलत आदेश पारित करवा लिया जबकि 22.03.13 की पेशी का कोई नोटिस विचारण न्यायालय द्वारा जारी नही किया। इसी कारण 22.03.13 व 28.03.13 को अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुआ परन्तु रेस्पो0 सं. 1 ने दिनांक 02.04.13 को अपीलांट को यह कहा कि मैने तो 28.03.2013 को न्यायालय के समक्ष बयान दर्ज करवा दिये है उसी आधार पर प्रश्नगत भूमि जो दावा मे दर्ज की है उसी अनुसार निर्णय होना है। तब दिनांक 02.04.13 को अपीलांट ने विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी को सुने जाने हेतु कथन करने विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि प्रकरण दिनांक 28.03.13 को ही निर्णित कर देने का कथन किया। विचारण द्वारा अपीलांटस का जवाब एवं स्टेट जवाब जो आवश्यक पक्षकार है, का जवाब लिये बिना कतई विधि विरूद्ध तरीके से प्रकरण का निस्तारण किाय है जो निरस्त योग्य है। प्रश्नगत भूमि से संबंधित घरूबंटवारा पक्षकारान के मध्य दिनांक 15.04.1989 को भी हो चुका था जो रजिस्टर्ड भी था उसी अनुसार पक्षकारान प्रश्नगत भूमि पर काबिज थे परन्तु उसका बिना कोई जिक्र किये तथा सही तथ्यों को छुपाते हुए रास्ता खाला का ध्यान दिये बिना अपीलाधीन निर्णय रेस्पो0 सं. 1 व 2 को लाभ पहुंचाने की नियत से पारित किया है। अपीलांटस विचारण न्यायालय के समक्ष जानबूझ कर अनुपस्थित नही रहे

सत्यमेव जयते
Web Copy, Not Official

है बल्कि पीठासीन अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप होने से उस पर स्थानीय अभिभाषकगण संघ एवं उनके मुव्वकिलो का विश्वास नही रहने एवं न्याय की उम्मीद नही होने से ही कार्य स्थगन प्रस्ताव होने के कारण एवं पेशी के जरिये नोटिस आईन्दा पेशी 05.04.2013 मुकर्रर किये जाने के कारण दिनांक 22.03.2013 व 28.03.13 को अनुपस्थित रहे जबकि जिला कलैक्टर हनुमानगढ़ द्वारा भी सहायक कलैक्टर पीलीबंगा के भ्रष्ट आचरण के कारण उनके यहां विचाराधीन समस्त प्रकरणों को सहायक कलैक्टर हनुमानगढ़ के यहां स्थानान्तरित कर दिये गये है इस कारण उक्त परिस्थितियों के मध्य नजर से भी अपीलाधीन निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर पक्षकारान का जवाब साक्ष्य सुनवाई का मौका दिया जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 आरटीए पेश कर संयुक्त खाते मे दर्ज भूमि के संबंध मे खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किया गया। जिसमे प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की ओर अभिभाषक उपस्थित आये। प्रतिवादी सं. 2 ने जवाबदावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत किया। दिनांक 08.03.13 प्रतिवादी सं. 1 उपस्थित आये। दिनांक 22.03.13 को प्रतिवादीगण सं. 1, 3, 4 रजिस्टर्ड एडी से तामील होने के बावजूद भी उपस्थित नही आने पर तथा बार–बार आवाज लगाये जाने के बाद उपस्थित न आने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादीगण/रेस्पो0 डिक्री करते हुए कांउटर क्लेम प्रतिवादी सं. 2 डिक्री किया गया जो सही है। अपीलांट द्वारा अपील मे अंकित तथ्य कतई निराधार होने के कारण स्वीकार योग्य नही है। अपीलांट जानबूझकर दावा मे उपस्थित नही हुये तथा जवाबदावा आदि प्रस्तुत नही किया गया

है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय का शुरू से ही ज्ञान रहा है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई जो मियाद पर ही खारिज होने योग्य है। अपीलांट की तामील भी विधिवत तरीके से करवाई गई। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व विचारण न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई हेतु कोई अवसर प्रदान नही किया गया तथा प्रकरण मे बिना प्रभावित पक्षकारो को सुने विभाजन अपीलाधीन निर्णय के जरिये दावा डिक्री किया गया है। इस प्रकार अपीलांटस को सुनवाई हेतु कोई अवसर प्रदान किये बिना ही तथा विभाजन प्रस्ताव हेतु प्राथमिक डिक्री जारी किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित करते समय राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नही हो पाई है। जबकि विभाजन के वाद मे राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए समस्त सहखातेदारान की उपस्थिति मे समस्त सहखातेदारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विभाजन की डिक्री पारित किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.03.2013 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण मे विभाजन प्रस्ताव हेतु प्राथमिक डिक्री जारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 मे विहित प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करते हुए विभाजन हेतु अन्तिम डिक्री पारित करें। विभाजन प्रस्ताव हेतु मौका निरीक्षण की तिथि के संबंध मे तहसीलदार उभय पक्ष को विधिवत रूप से सूचित कर उभय पक्ष की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण कर नियम 18 ता 21 के प्रावधानो के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहखातेदारान की आपत्तियों/आक्षेपों पर सुनवाई कर नियमानुसार निस्तारण करते हुये विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 29.08.2018 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official